कार्यालय, आरा नगर निगम

पत्रांक

प्रेषक,

नगर आयुक्त
आरा नगर निगम, आरा।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
महालेखाकार कार्यालय, समाजिक प्रक्षेत्र-1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना

आरा, दिनांक वीं दिसम्बर, 2018

विषयः— **नगर निगम, आरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या—929/17—18 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में नगर निगम, आरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या—929/2017—18 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः—यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह/०

नगर आयुक्त,
आरा नगर निगम, आरा।

ज्ञापांक 2492 दिनांक 6.12.18

प्रतिलिपिः- सहायक निदेशक—सह—संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार पटना को उनके पत्रांक 1283/न.वि.एवं. आ.वि. दिनांक 13.06.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,
आरा नगर निगम, आरा।

कार्यालय आरा नगर निगम, आरा।

नगर निगम, आरा के वर्ष–2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–929/17–18 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

अंकेक्षण की कंडिका संख्या		विषय वस्तु	अनुपालन	अभियुक्ति
भाग–।। (ख)	क	जमा नही राशि रूपया 2.68 लाख	राशि जमा कराई जा चुकी है नाजीर रसीद की छाया–प्रति संलग्न है।	साक्ष्य संलग्न है।
	ख	कम जमा राशि 4953.00	राशि जमा कराई जा चुकी है नाजीर रसीद की छाया–प्रति संलग्न है।	साक्ष्य संलग्न है।
	ग	वसूल की गई राशि नही जमा रूप्या 3.10 लाख	राशि जमा कराई जा चुकी है नाजीर रसीद की छाया–प्रति संलग्न है।	साक्ष्य संलग्न है।
2		सैरात बंदोबस्ती से राशि की वसूली नही होने के कारण राजस्व की हानि रूपया 56.90 लाख	संबंधित बंदोबस्तधारक के विरूद्ध निलामपत्र वाद दायर किया गया है। एक बंदोबस्तधारक अभिषेक कुमार के द्वारा मो. 500000 रूप्या जमा भी किया गया है। जिनके द्वारा बार–बार स्मार करने के प्श्चात भी राशि जमा नही की गई है उनके विरूद्ध निलामपत्र वाद दायर किया गया है।	साक्ष्य संलग्न है।
3		सैरात की विभागीय वसूली नही होने के कारण राजस्व की हानी राशि रूप्ये 54.88 लाख एवं नगर निगम द्वारा सैरात की वसूली से संबंधित रसीद अनुपलब्ध	वर्णित चार सैरातों की बंदोबस्ती हेतु बार–बार सूचना निर्गत करने के प्श्चात भी किसी बंदोबस्तधारक के द्वारा भाग नही लेने के कारण विभागीय वसूली का दायित्व निगम कर्मियों को दिया गया जिनके द्वारा अपने कार्यो के अतिरिक्त विभागीय वसूली के दायित्वों का निर्वहन किया गया। इसके लिए संबंधित विभागीय वसूलीकर्ता को निदेश दिया गया था कि वे सुरक्षित जमा राशि के समतुल्य राशि वसूले।	

अभीप्रमाणित

नगर आयुक्त
आरा नगर निगम, आरा

4		सैरात को वित्तीय वर्ष–17–18 के बीच में ही रद्द करने के कारण राजस्व की हानि राशि रूप्या 56.36 लाख।	इस सैरात के संबंध में ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी कि बंदोबस्तधारकों द्वारा एन.एच. पर तथा बाहर से आने वाले सभी वाहनों से निर्धारित दर से अधिक मो.–500/– (पाँच सौ) रूपये प्रतिवाहन की वसूली की जा रही थी जिससे नगर निगम एवं बिहार राज्य की छवि धूमिल हो रही थी। इसके अतिरिक्त यह सैरात बस स्टैण्ड के बगल में खाली भू–खण्ड के लिए निर्धारित था परन्तु बंदोबस्तधारकों द्वारा अवैध ढंग से शहरी क्षेत्र के चारो तरफ से निगम क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के वाहन से इस शुल्क की वसूली की जाती थी। अतः अविलम्ब अवैध वसूली पर रोक लगाते हुए संबंधित बंदोबस्तधारक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्णय निगम बोर्ड की दिनांक जिला पदाधिकारी, भोजपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आरा के तरफ से भी इस संबंध में पत्राचार किया गया है। इसके अतिरिक्त आये दिन समाचार–पत्रों में भी एन.एच. पर अवैध वसूली का मामला उठते आया है। अवैध वसूली कर्ताओं को पुलिस द्वारा भी कई बार गिरफ्तार भी किया गया है तथा इससे संबंधित प्राथमिकी संख्या 294/2011, कांड संख्या–173/2016, 413/2016, 426/2016, 90/2017, 129/2017, 231/2017, 233/2017 एवं 255/2017 सहित कई प्राथमिकी भी दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी चूगी वसली पर रोक लगाई गई है एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक. 1280 दिनांक 29.05.2013 द्वारा भी यह स्पष्ट आदेश दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में एन.एच. पर प्रवेश शुल्क अथवा चुंगी की वसूली नही किया जाए। अतः इस संबंध में यथोचित निर्णय आवश्यक है। विस्तृत चर्चा के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त सैरात को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए ताकि अवैध वसूली पर रोक लगे एवं निगम की छवि धूमिल नही हो। (बोर्ड के कार्यवाही की प्रति संलग्न है)	

अभिप्रमाणित

नगर आयुक्त
आरा नगर निगम, आरा

5		अनियमित भुगतान राशि 3.35 लाख	कार्य का आवंटन निविदादाता द्वारा प्राक्कलित राशि से 9 प्रतिशत अधिक पर किया गया था। चापाकल खराब होने के संबंध में कोई लिखित सूचना प्राप्त नही हुई थी। चापाकल की सूची संलग्न की जा रही है। निविदा के माध्यम से कार्य कराया गया है अतः अभिश्रव समर्पित नही किया जा सका।	
6		अनियमित भुगतान राशि 31.66 लाख	इस कार्य की प्राक्कलित राशि–5778810/– रूप्या थी जिसका एकरारनामा प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम अर्थात 5200929/– रूप्ये पर किया गया था। दिनांक 23.07.2016 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठ में लिये गये निर्णय के आधार पर प्राक्कलित राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जिसके पश्चात योजना की कुल राशि 5778810/– रूपये हुया। संवेदक को प्रथम विपत्र के रूप में मो. –5127490/– दिनांक 08.02.2017 को एवं द्वितीय विपत्र का भुगतान 595043/– दिनांक 11.05.2017 रूपया किया गया। इस प्रकार संवेदक को कराये गये कार्य के विरूद्ध मो.–5722533/– रूपया भुगतान किया गया है। मापी पुस्त, एकरानामा एवं सशक्त स्थायी समिति के कार्यवाही की प्रति संलग्न।	
7		उपभोक्ता शुल्क की वसूली नही किया जाना राशि–302.09 लाख	दिनांक 20.03.2018 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई माननीय सदस्यों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जिसके कारण इस पर कोई निर्णय नही हो सका। कार्यवाही की छाया–प्रति संलग्न।	

अभिप्रमाणित

/नगर आयुक्त
आरा नगर निगम, आरा

8		सरकारी भवनों पर बकाया सम्पति कर रूपया 158.43 लाख	वित्तीय वर्ष–2017–18 में सरकारी भवनों से मो0–7378422 00 रूपया बकाया करो की वसूली की गई है शेष वसूली आवंटन के अभाव के कारण नही हो पाई है फिर भी संबंधित सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय को माँग पत्र दिया गया है। (विभागवार बकाया कर की सूची जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को आवंटन हेतु प्रेषित किया गया है की सूची संलग्न)	
9		बकाया दूकान किराया रूप्या 15.57 लाख	लेखा परीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में दूकान किराया की बकाया वसूली हेतु कारगर कदम उठाया गया है जिससे बकाया किराया की वसूली में अच्छी प्रगति हुई है।	
10		सफाई कार्य के आउटसोर्सिंग में अनियमितता	आउटसोर्सिंग के माध्यम से सफाई मजदूर उपलब्ध कराने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था (विज्ञापन की छाया–प्रति संलग्न) सफाई कार्य बाधित नही हो इसलिए पूर्व से कार्यरत गैर सरकारी संगठन को एक वर्ष हेतु अवधि विस्तार दी गई। जिसका भुगतान श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए किया गया है (निविदा की प्रति संलग्न है) परन्तु निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में दिनांक 19.08.2017 को निविदा को रद्द करते हुए पूर्व की तरह सफाई कार्य जारी रखने का निर्णय लिया गया था चूकि सफाई कार्य निगम की पहली प्राथमिकता है तथा प्रकाशित निविदा को सशक्त स्थायी समिति द्वारा निर्णय नही लिया गया एवं इसे रद्द कर दिया गया था अतः कार्यहित एवं जनहित में उक्त कार्य को अगले आदेश तक सफाई कार्य कराने का आदेश निर्गत किया गया है। पुनः नये सिरे से निविदा प्रकाशन की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।	
11		संचार टावरों के अनाधिकृत अधिष्ठापन एवं पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसूली नही राशि–359.54 लाख	बकाये राशि की वसूली हेतु सभी संबंधित कंपनियों को मांगपत्र भेजा गया है। (मांग पत्र की प्रति संलग्न है)	

अभीप्रमाणित

नगर आयुक्त
आरा नगर निगम, आरा

12		दुकान किराया की दर में बढ़ोतरी नही करने के कारण राजस्व की हानी रूप्या 26.37 लाख	दिनांक 08.07.2017 को आयोजित निगम बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से नियमानुसार दूकान किराया में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है सभी दूकानदारों को बढ़े हुये दर के आधार पर दूकान किराया जमा करने हेतु मांग पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। (कार्यवाही की छाया–प्रति संलग्न)	
13		संवेदक द्वारा स–समय कार्य पूर्ण नही करने के कारण योजना का वांछित लाभ प्राप्त नही एवं संवेदक से विलंब शुल्क की प्राप्ति नही राशि–26.83 लाख	कार्य की प्राक्कलित राशि रूप्या 16650498/– रूप्या थी तथा एकरारनामा प्राक्कलित राशि से 10 प्रतिशत कम अर्थात 14985448/– रूप्ये पर संपादित हुआ है। दिनांक 03.07.2017 तक मो.–1579520/– दिनांक 02.05.2017 एवं मो.–1970959/– दिनांक 03.07.2017 कुल मो. –3550479/– रूपया का भुगतान किया गया है। कराया गया कार्य निर्धारित अवधि के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त निर्धारित अवधि के पश्चात जो कार्य कराये जायेंगे उनके विपत्र से 10 प्रतिशत की राशि विलंब शुल्क के रूप में वसूली की जायेगी। **मापी पुस्त एवं एकरारनामा की छाया–प्रति संलग्न।**	

6/12/18

नगर आयुक्त,
आरा नगर निगम, आरा।